हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2004–05

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF THE ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA FOR THE YEAR -2004-05.

Commendable work was accomplished by the department during the year 2004-05. A decision was taken to regularizing the 1054 unauthorized colonies situated in the limits of Municipal Corporation/Councils/Committees during the current finance year.

Principal Secretary to Govt. Haryana
Urban Development Department

Dated
3/9/2013

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2004-05

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1992 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2004-05, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 53 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 20203.48 Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal Areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic amenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

In addition to this, policies regarding permission to construct shopping malls or Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees were framed and as a result of this, an amount of Rs. 2,49,06,674/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during this period.

Dated
3/4/2017

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

4A-D-41

समीक्षा

विभाग द्वारा वर्ष 2004--2005 के दौरान सराहनीय कार्य किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान नगर निगम/नगर परिषदों/नगरपालिकाओं में स्थित 1054 अवैध कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

Dated
3/4/2017

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2004—05 की प्रशासनिक रिपोर्ट समालोचना

* निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका
कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2005—06 में राज्य
में कुल 1 नगरनिगम 23 नगरपरिषदें व 50 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को
पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि [illegible]
लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न
शहर की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।
किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

विभाग द्वारा वर्ष 2004—05 के दौरान सराहनीय कार्य किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान
नगर निगम/नगर परिषदों/नगरपालिकाओं में स्थित 1054 अवैध कालौनियों को नियमित करने का निर्णय
लिया गया है।

दिनांक
3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

नगर विकास विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2004–2005

निदेशालय, नगर विकास, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री पी.के.गुप्ता, आई.ए.एस. आयुक्त एंव सचिव रहे हैं तथा श्री पी.सी. विधान, आई.ए.एस. वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित व वर्ष 2005–2006 की बजट व्यवस्था निम्न प्रकार से है:–

क0सं0	स्कीम का नाम	वर्ष 2004–05 में प्रावधान (रूप्ये लाखों में)	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)	वर्ष 2005–06 में वास्तविक प्रावधान (रूप्ये लाखों में)
1	2	3	4	5
1	शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार	262.30	262.30	300.00
2	तदर्थ राजस्व अर्जन योजना	70.00	70.00	237.70
3	11वें वित्त आयोग की सिफारिशों में सामूहिक विकास	852.14	732.80	1820.00
4	लघु तथा मध्यम वर्ग के कस्बों में सामूहिक विकास	400.00 (राज्य शेयर) 600.00	1000.00	1000.00
5	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	(केन्द्रीय शेयर) 250.00	250.00	250.00
6	राष्ट्रीय स्लम विकास योजना	1047.00	536.00	1047.00
7	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	300.00	300.00	300.00
8	शहरी संरचना	1070.00	1070.00	4730.00
9	प्रौद्यौगिक सूचना	48.56	48.56	शून्य
10	महिला पार्षदों को ट्रेनिंग हेतु अनुदान	4.30	4.30	4.30
	कुल योग	4904.30	4273.96	9689.00

शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 के दौरान 36482 व्यक्तियों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 48855 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2005–06 के लिए 37500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

A-D-41

शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार के अन्तर्गत वर्ष 2004--05 के दौरान 36482 व्यक्तियों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 48855 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2005--06 के लिए 37500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

2. तकनीकी शाखा

i) शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004--05 के दौरान 262.30 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई, जिससे पालिकाओं द्वारा गलियों को पक्का करना, वाटर सप्लाई, नालियों का निर्माण, सार्वजनिक स्नानघर, शौचालय, गलियों में रोशनी के लिए खर्च की गई।

ii) तदर्थ राजस्व अर्जन योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004--05 के दौरान 70.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को दी गई, जो कि पालिकाओं की कामर्शियल योजनाएं, शापिंग सैन्टर, पालिका बाजार, दुकानों तथा बूथों के निर्माण पर खर्च की जानी।

iii) लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004--05 के दौरान 1000.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दवाब को कम करने से है।

iv) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004--05 के दौरान 852.14 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

v) राष्ट्रीय स्लम विकास योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004--05 के दौरान 1047.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है कि पर्याप्त तथा सन्तोषजनक पानी, सफाई व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें तथा नान फारमल शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

vi) अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 300.00 लाख रूपये की दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य नगरों की संरचना एवं सुदृढ़ीकरण करना है, जिसके अन्तर्गत सड़कों/गलियों का निर्माण/मुरम्मत, रोशनी का प्रबन्ध, पार्कों का निर्माण तथा सौंदर्यकरण इत्यादि है।

3 अग्निशमन शाखा

इस स्कीम के अन्तर्गत 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2004–05 के बजट में 119.34 लाख रूपये का प्रावधान था और यह राशि नगर निगम/नगर परिषद/पालिका, पानीपत, बहादुरगढ, रोहतक, सोनीपत, पलवल, गुड़गांवा व रेवाड़ी के लिए नई दमकल गाड़ी पर खर्च किया गया।

4. पैंशन शाखा

वर्ष 2004–05 के दौरान पालिकाओं के पी.पी.ओ.नं0 3684 से 3963 तक 279 नये सेवा निवृत कर्मचारियों को पैंशन दी गई है तथा लगभग 82 पैंशनरों की मृत्यु उपरान्त उनके परिवारों को पारिवारिक पैंशन सुविधा दी गई। कुल 524.37/–रूपये की पैंशन शेयर की रिकवरी की गई।

5. नगर योजना शाखा

दिनांक 11.12.2004 की मन्त्री परिषद की बैठक में नगरपालिका/परिषद/निगम सीमाओं में स्थित 1054 अवैध कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जो कि विभाग के पत्र दिनांक 17.12.2004 द्वारा स्वीकृत की गई।

6. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2004–05 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मिलित करने बारे :–

क्र0 सं0	चौकसी विभाग द्वारा जारी एफ0आई0आर0	विभाग द्वारा की गई कार्रवाही
1	शून्य	शून्य

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2005–06

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF THE ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA FOR THE YEAR -2005-06.

Commendable work was accomplished by the department during the year 2005-06. Two projects namely JNNRUM(Jawaharlal Nehru National Renewal Urban Mission) and UIDSMT(Urban Infrastructure Development Schemes for Small and Medium Towns)were started by the Government of India.

Principal Secretary to ~~Govt.~~ Haryana
Urban Development Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2005-06.

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2005-06, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 20203.48 Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

In addition to this, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees were framed and as a result of this, an amount of Rs. 2,49,06,674/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during this period.

Dated
3/4/2017

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

समीक्षा

विभाग द्वारा वर्ष 2005–2006 के दौरान सराहनीय कार्य किया गया। चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार द्वारा दो नई परियोजनाएं नामत जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम) छोटे एवं मध्य वर्गीय शहरों के ढांचागत समुचित विकास (यू.आई. डी.एस.एस.एम.टी) शुरू की गई।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

3/4/2017

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2005–06 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यों पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2005–06 में राज्य में कुल 1 नगरनिगम 23 नगरपरिषदें व 50 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि 20208.44 लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए सरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

इसके अतिरिक्त नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टिपलैक्स के निर्माण को अनुमति देने के लिए नीतियां अधिसूचित की गई । जिसके अर्न्तगत इस अवधि में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 2,49,06,674/– रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

नगर विकास विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2005–2006

निदेशालय नगर विकास, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस./एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री पी.के.गुप्ता, आई.ए.एस. आयुक्त एंव सचिव रहे हैं तथा श्री जी.सी.चिधान, आई.ए.एस. वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि, सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित व वर्ष 2006–2007 की बजट व्यवस्था निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	स्कीम का नाम	वर्ष 2005–06 में प्रावधान (रूप्ये लाखों में)	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)	वर्ष 2006–07 में वास्तविक प्रावधान (रूप्ये लाखों में)
1	2	3	4	5
1	शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार	300.00	300.00	शून्य
2	तदर्थ राजस्व अर्जन योजना	237.70	237.70	शून्य
3	11वें वित्त आयोग की सिफारिशों में सामूहिक विकास	1820.00	1820.00	1820.00
4	लघु तथा मध्यम वर्ग के कस्बों में सामूहिक विकास	702.00	702.00	1000.00
5	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00	250.00	250.00
6	राष्ट्रीय स्लम विकास योजना	—	—	1047.00
7	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	300.00	300.00	106.90
8	शहरी संरचना	9.46	9.46	शून्य
9	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों में सामूहिक विकास	—	—	1820.00
10	राज्य वित्त आयोग	5000.00	5000.00	5000.00
11	महिला पार्षदों को ट्रेनिंग हेतु अनुदान	4.30	4.30	शून्य
12	एल.ए.डी.टी.	11580.00	11580.00	12964.00
	कुल योग	20203.46	20203.46	22187.90

शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के दौरान 37500 व्यक्तियों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 57653 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

ritu worksD:\4A\ritu works.docx

2. तकनीकी शाखा

i) शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान 300.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई, जिससे पालिकाओं द्वारा गलियों को पक्का करना, वाटर सप्लाई, नालियों का निर्माण, सार्वजनिक स्नानघर, शौचालय, गलियों में रोशनी के लिए खर्च की गई।

ii). सदृश्य राजस्व अर्जन योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान 237.70 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को दी गई, जोकि पालिकाओं की कमर्शियल योजनाएं, शापिंग सैन्टर, पालिका बाजार, दुकानों तथा बूथों के निर्माण पर खर्च की गई।

iii) लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान 702.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोंटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दबाव को कम करने से है।

iv) 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान 1820.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

v) राष्ट्रीय स्लम विकास योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान 1047.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई। इस स्कीम का उदेश्य है कि पर्याप्त तथा सन्तोषजनक पानी, सफाई व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा नान फारमल शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

vi) अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 300.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

vii) शहरी संरचना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 के दौरान नगरपालिकाओं को 9.46 लाख रूप्ये की राशि दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य नगरों की संरचना एवं सुदृढ़ीकरण करना है, जिसके अन्तर्गत सड़कों / गलियों का निर्माण / मुरम्मत, रोशनी का प्रबन्ध, पार्कों का निर्माण तथा सौंदर्यकरण इत्यादि है।

viii) जन सुविधायें

राज्य की नगरपालिकाओं की सीमा के अन्दर जन सुविधाओं जैसे कि सड़क / गली, गलियों में बिजली का प्रबन्धन, नालियां, पार्क आदि कमियों की पहचान की गई है। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों नामतः शहरी मलिन बस्तियों के वातावरण में सुधार, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर विकास हेतु प्राप्त सहायता अनुदान, शहरी संरचना तथा स्थानीय क्षेत्र विकास कर के अन्तर्गत 13736.00 लाख रूपये का अनुदान सभी नगरपालिकाओं को दिये गए। सभी नगरपालिकाओं में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान 5000.00 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

ix) सामूदायिक शौचालय

शहरी मलिन बस्तियों में शौचालय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है। अतः इसे रोकने के लिए इन बस्तियों में सामूदायिक शौचालयों को बनाने की आवश्यकता है। सामूदायिक शौचालय के निर्माण के लिए लगभग 55 स्थानों का चयन मलिन बस्तियों में किया गया है।

x) माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं के बारे:–

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा इस विभाग से सम्बन्धित 17 घोषणाएं की गई थी, जिसमें से विभाग द्वारा 6 घोषणाएं पहले से ही पूर्ण की जा चुकी हैं और अब शेष 11 घोषणाओं में से एक अयोग्य तथा शेष 10 पर कार्य प्रगति पर है।

xi) वाणिज्यक परियोजना

मार्च, 2006 में केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम शहरों के समन्वित विकास की परियोजना के तहत 14.84 करोड़ रूप्ये की राशि छः शहरों के लिए स्वीकृत की गई है। इस योजना से नगरपालिकाओं के राजस्व में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2005–06 में केन्द्र सरकार द्वारा 416.00 लाख रूप्ये का अनुदान दिया गया। इसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भी अपने अशदान का हिस्सा 286.00 लाख रूप्ये सम्बन्धित पालिकाओं को दिया गया है।

xii) ठोस कूड़ा–करकट प्रबन्धन

क. एयरफिल्ड टाऊन में ठोस कूड़ा प्रबन्धन

एयरफिल्ड टाऊन, सिरसा के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से 885.00 लाख रूप्ये का ठोस कूड़ा प्रबन्धन तथा निकासी का कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है, जोकि पूर्ण अवस्था में है। इसी तरह की परियोजना के अन्तर्गत दो अन्य एयरफिल्ड शहरों नामतः अम्बाला शहर तथा अम्बाला सदर जिसकी अनुमानित लागत 1076.23 लाख रूप्ये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है और कार्य 15.6.2006 से आरम्भ कर दिया जायेगा।

ख. ठोस कूड़ा–करकट प्रबन्धन एयरफिल्ड शहरों के ईलावा

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर बनाये गये ठोक कूड़ा कर्कट नियम 2000 की अनुपालना में शहरी विकास विभाग ने 35 शहरों में सैनेटरी लैण्डफिल और केंचुए वाली खाद के लिए भूमि का चयन कर लिया है तथा सैनेटरी लेण्डफिल्ड के विकास का कार्य 6 शहरों में पहले से ही प्रगति पर है। इस अवधि के दौरान सम्बन्धित नगर परिषदों/ पालिकाओं को 1210.00 लाख रूप्ये का अनुदान परियोजना के तहत सैनेटरी लैण्डफिल्ड के विकास तथा वाहन एवं उपकरण खरीदने के लिए दिया गया है।

3. अग्निशमन शाखा

इस विभाग के मोटर व्हीकल मद में पालिकाओं को अनुदान के रूप में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु चालू वित्त वर्ष के लिए 14,00,000/–रूपये की व्यवस्था है। उक्त राशि में से 3 चैसिज खरीद करके पैयर्ज गीता इन्टरप्राईजिज, नई दिल्ली को फैब्रिकेशन हेतू दी गई है, जोकि फैब्रिकेशन उपरान्त नगरपालिका, ऐलनाबाद, चरखी दादरी तथा रतिया को दे दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त एन.सी.आर.पी.बी. स्कीम के अन्तर्गत लिये गये ऋण में से 6 रैस्क्यू टेण्डर तथा 12 दमकल गाड़ियां फैब्रिकेट करवा कर पालिकाओं नामतः रिवाड़ी, रोहतक, पानीपत, गुड़गांव,

बहादुरगढ़, बरवाला, महम, सोनीपत, बावल, सोहना, समालखा तथा सिरसा को दे दी गई हैं और इसी ऋण में से 9 वाटर बौज़र खरीद करके मैसर्ज मैटल टेक इण्डस्ट्रीज, अम्बाला कैन्ट को फैब्रिकेशन के लिए दी गई हैं, जोकि फैब्रिकेशन उपरान्त नगर परिषद, पलवल, बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, गुड़गांव तथा पानीपत को दे दी गई।

4. **चुनाव शाखा**

नई सरकार के अस्तित्व में आने के पश्चात राज्य सरकार ने दिनांक 28.10.05 को हुई मन्त्री परिषद बैठक में वर्ष 2000 में भंग की गई 15 नगरपालिकाओं में से 8 नगरपालिकाएं नामतः लोहारु हथीन, जुलाना, अटेली मण्डी, कनीना, रादौर तथा सढौरा का पुर्नगठन करने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने दिनांक 1.8.2005 को अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव सम्बन्धी विवादों के निपटान हेतु श्री एम.एस. नागरा, सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायधीश की अध्यक्षता में एक 'ट्रिब्यूनल' के गठन का निर्णय लिया।

राज्य सरकार ने नगर निगम/नगर परिषदों में 3 सदस्य तथा नगरपालिकाओं में 2 ऐसे सदस्य जो पालिका प्रशासन के बारे पूर्ण ज्ञान रखते हों, को मनोनित करने के प्रावधान हेतु हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के नियम 9 में संशोधन करने के लिए दिनांक 14.7.2005 को अधिसूचना जारी की।

5. **पैंशन शाखा**

वर्ष 2005–2006 के दौरान पालिकाओं के 260 नये सेवा निवृत कर्मचारियों को पैंशन दी गई है तथा लगभग 84 पैंशनरों की मृत्यु उपरान्त उनके परिवारों को पारिवारिक पैंशन सुविधा दी गई। कुल 425.81/–रुपये की पैंशन शेयर की रिकवरी की गई।

6. **नगर योजना शाखा/भवन/भूमि**

नगर परिषदों/नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं नगरों के विकास के आधुनिकरण करने के उद्देश्य से शॉपिंग मॉल्ज़ एवं मल्टीप्लैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नितियां बनाकर अधिसूचित की गई। इस अवधि के दौरान जांच पड़ताल फीस कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस इत्यादि के रूप में 2,49,06,674/–रुपये हरियाणा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चल डिवैल्पमैन्ट फण्ड में जमा करवा दिये गये हैं।

7. **वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2005–06 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मालित करने बारे–**

क0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	एफ.आई.आर.नं0 1 दिनांक 16.02.2006 अण्डर सैक्शन 7/13/49/88 आई.पी.सी. पी.एस. एस.वी.बी. गुड़गाँव श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लालचन्द, नगर परिषद, गुड़गाँव	मामले में अभियोग चलाने की स्वीकृति आयुक्त, नगर निगम, हिसार द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा को भिजवाई गई है, मामला अभी विचाराधीन है।

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2006–07

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2006-07.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2007

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2006-07

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2006-07, there was [illegible] Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 21331.46// Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal Areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic amenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income financial position of the municipalities.

Under the, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees an amount of Rs. 2,58,69,180/-as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during this period.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

समीक्षा

वर्ष 2006-2007 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों को बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियाँ, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाउन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, शहरों का विकास इत्यादि चलाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2006–07 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यों पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2006–07 में प्रदेश में कुल 1 नगरनिगम 23 नगरपरिषदें व 56 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि [illegible] लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए [illegible] किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीप्लेक्स [illegible] निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 2,68,89,160/–रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

(हस्ताक्षर)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(हस्ताक्षर) दिनांक
3/4/2017

1. <u>नगर विकास विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2006—2007</u>

निदेशालय, नगर विकास, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. काडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर—निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप—निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री एन.बाला भास्कर, आई.ए.एस. वित्तायुक्त एंव सचिव रहे हैं तथा श्री अनिल कुमार, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006—2007 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

1. बजट शाखा

क0सं0	स्कीम का नाम	वर्ष 2006—07 में प्रावधान (रूप्ये लाखों में)	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	3	4
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	726.81	726.81
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	1820.00	1820.00
3	लघु तथा मध्यम वर्ग के कस्बों में सामूहिक विकास	463.75	463.75
4	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	106.90	106.90
5	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00	250.00
6	राज्य वित्त आयोग	5000.00	5000.00
7	एल.ए.डी.टी.	12964.00	12964.00
	कुल योग	21331.46	21331.46

2. तकनीकी शाखा

i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006—2007 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 726.81 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

ii) 12वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006—2007 के दौरान 1820.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

iii) लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान 463.75 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उद्देश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दबाव को कम करने से है।

iv) अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 196.90 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आदि सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

v) कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 250.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

vi) राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2006–2007 के दौरान 5000.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि राज्य की सभी नगर परिषद/ पालिकाओं को रिलीज की गई है।

vii) एल.ए.डी.टी. स्कीम के अन्तर्गत

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 12964.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदानु के रूप में दी गई है।

3. <u>नगर योजना शाखा</u> :

वर्ष 2006–07 के दौरान हरियाणा प्रदेश के नगरों के शहरी विकास को व्यवस्थित दशा देने के लिए आवासीय मकानों और खाली प्लॉटों को व्यावसायिक उपयोग में बदलाव से सम्बन्धित नीति मापदण्ड बनाये गये और इस अवधि के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 25,869,160 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड में जमा करवाये गये।

4. चुनाव शाखा

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2006–07 में एक नगर निगम , 22 नगर परिषदें तथा 54 नगर पालिकायें अस्तित्व में थी।

वर्ष 2006–07 में नगर परिषद, करनाल, व नगर पालिका, डबवाली, अम्बाला तथा गोहाना की सीमावृद्धि की गई है। वर्ष 2006–07 में नगर पालिका, लोहारू का गठन किया गया तथा नगरपालिका अटेली मण्डी, कनीना, जुलाना, फर्रुखनगर तथा हथीन की वार्ड बन्दी की गई।

5. अग्निशमन शाखा

वर्ष 2006–2007 में हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्नि शमन सेवा को सुदृढ करने के लिए 11वें वित आयोग के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) के अन्तर्गत अनुदान के रूप में खोले गये शहरों में दमकल केन्द्रों नामतः बहादुगढ़, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, समालखा, गोहाना, गन्नौर, झज्जर, सोहना, होडल, नूह, महम तथा बावल में दमकल केन्द्र भवन तथा अग्नि शमन गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई जिस पर कुल 2,09,32,000+1,44,90,698= 3,54,22,698 खर्च हुये।

6. <u>पैंशन शाखा</u>

वर्ष 2006–07 में नगर परिषद/पालिकाओं के सेवा निवृत कर्मचारियों के कुल 344 केस स्वीकृत किये गये।

ritu worksD:\4A\ritu works.docx

[illegible] प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2006–07 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य [illegible]

[illegible]	[illegible] विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	शुन्य	शुन्य

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2007—08

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2007-08.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2007-08

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2007-08, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 32,656.48/ Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under the, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees an amount of Rs. 1,01,87,765/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2007-08

Dated
3/4/2017

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

समीक्षा

वर्ष 2006–2007 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

दिनांक
3/4/2017

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2006–07 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2006–07 में राज्य में कुल 1 नगरनिगम 23 नगरपरिषदें व 56 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि 21331.46 लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अर्न्तगत वर्ष 2006–07 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 2,58,69,160/–रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

3/4/2017

1. नगर विकास विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2006–2007

निदेशालय, नगर विकास, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री एन.बाला भास्कर, आई.ए.एस. वित्तायुक्त एंव सचिव रहे हैं तथा श्री अनिल कुमार, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

1. बजट शाखा

क0सं0	स्कीम का नाम	वर्ष 2006–07 में प्रावधान (रूप्ये लाखों में)	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	3	4
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	726.81	726.81
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	1820.00	1820.00
3	लघु तथा मध्यम वर्ग के कस्बों में सामूहिक विकास	463.75	463.75
4	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	106.90	106.90
5	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00	250.00
6	राज्य वित्त आयोग	5000.00	5000.00
7	एल.ए.डी.टी.	12964.00	12964.00
	कुल योग	21331.46	21331.46

2. तकनीकी शाखा

i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 726.81 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

ii) 12वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान 1820.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

iii) लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान 463.75 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोंटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दवाब को कम करने से है।

iv) अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 106.90 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

v) कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 250.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

vi) राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2006–2007 के दौरान 5000.00 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि राज्य की सभी नगर परिषद/ पालिकाओं को रिलीज की गई है।

vii) एल.ए.डी.टी. स्कीम के अन्तर्गत

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006–2007 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 12964.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

3. <u>नगर योजना शाखा</u> :

वर्ष 2006–07 के दौरान हरियाणा प्रदेश के नगरों के शहरी विकास को धारणीय दश देने के लिए आवासीय मकानों और खाली प्लॉटों को व्यावसायिक उपयोग में बदलाव से सम्बन्धित नीति मापदण्ड़ बनाये गये और इस अवधि के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 25,869,160 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड़ में जमा करवाये गये।

4. चुनाव शाखा.

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2006–07 में एक नगर निगम , 22 नगर परिषदें तथा 54 नगर पालिकायें अस्तित्व में थी।

वर्ष 2006–07 में नगर परिषद, करनाल, व नगर पालिका, डबवाली, झज्जर तथा गोहाना की सीमावृद्धि की गई है। वर्ष 2006–07 में नगर पालिका, लोहारू का गठन किया गया तथा गरपालिका, अटेली मण्डी, कनीना, जुलाना, फरूखनगर तथा हथीन की वार्ड बन्दी की गई।

5. अग्निशमन शाखा

वर्ष 2006–2007 में हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्नि ामन सेवा को सुदृढ करने के लिए 11वें वित आयोग के तहत राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) के अन्तर्गत अनुदान के रूप में खोले गये भाहरों में दमकल केन्द्रों नामतः बहादुगढ़, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, समालखा, गोहाना, गन्नौर, झज्जर, सोहना, होडल, नूंह, महम तथा बावल में दमकल केन्द्र भवन तथा अग्नि ामन गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई जिस पर कुल 2,09,32,000+44,90,698= 3,54,22,698 खर्च हुये।

6. <u>पैंशन शाखा</u>

वर्ष 2006–07 में नगर परिषद/पालिकाओं के सेवा निवृत कर्मचारियों के कुल 344 केस स्वीकृत किये गये।

7. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2006–07 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारे:–

क्र0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	शुन्य	शुन्य

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2008—09

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2008-09.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2008-09

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2008-09, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 54,674.00/ Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under the, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees an amount of Rs. 3,67,06,109/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2008-09.

Dated
3/4/2017

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

समीक्षा

वर्ष 2008–2009 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

3/4/2017

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2008–09 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2008–09 में राज्य में कुल 2 नगरनिगम 21 नगरपरिषदें व 59 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि 64,674.00 लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अर्न्तगत वर्ष 2008–09 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 3,67,06,109/–रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

नगर विकास विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2008–2009

निदेशालय, नगर विकास, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री एस.सी.चौधरी, आई.ए.एस. आयुक्त एंव सचिव रहे हैं तथा श्री डा0 महावीर सिंह, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

1. **बजट शाखा**

क्र0सं0	स्कीम का नाम	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	4
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	16195.00
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	910.00
3	लघु तथा मध्यम वर्ग के कस्बों में सामूहिक विकास	3000.00
4	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	200.00
5	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00
6	महिला पार्षदों को ट्रेनिंग हेतु अनुदान	4.00
7	राज्य वित्त आयोग	8328.00
8	एल.ए.डी.टी.	10350.00
9	गृहकर की हानि के ऐवेज में सहायता अनुदान	4000.00
10	दुग्ध डेरियों को स्थानान्तरित करने बारे	137.00
11	पालिका क्षेत्रों के वार्डो में विकास हेतु विशेष अनुदान	3700.00
12	अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान	400.00
13	पालिकाओं में अनुसूचित वार्डों के विकास हेतु विशेष अनुदान	7200.00
	कुल योग	54674.00

2. **तकनीकी/अभियांत्रिकी शाखा**

i) **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 16195.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

ii) **12वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान 910.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

iii) **लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान 3000.00 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दवाब को कम करने से है।

iv) **अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 200.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

v) **कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 250.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

vi) **महिला पार्षदों को प्रशिक्षण देने बारे :–**

विभिन्न पालिकाओं से 102 महिला पार्षदों को हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांवा में प्रशिक्षण दिलवाया गया।

vii) **राज्य वित्त आयोग की सिफारिश**

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2008–2009 के दौरान 8328.00 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

viii) **लोकल एरिया डवलपमेंट टैक्स स्कीम के अन्तर्गत**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 10350.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

ix) **हाऊस टैक्स माफी की भरपाई**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 4000.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

x) **दूग्ध डेयरियों का स्थानांतरण**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 137.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

xi) **विकास कार्यो के लिए विशेष अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 3700.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

xii) **अनुसूचित जाति के लिए विशेष अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 7200.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

3. **नगर योजना शाखा :**

वर्ष 2008--09 में हरियाणा नगरपालिका (संचार टॉवरों के निर्माण) 2009 उप--नियम बनाये गये तथा इस अवधि के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 36706109 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड में जमा करवाये गये।

4. **चुनाव शाखा**

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2008--09 में दो नगर निगम व 21 नगर परिषदें तथा 54 नगर पालिकायें है। वर्ष 2008--09 में नगर परिषद, जीन्द, बहादुरगढ़ तथा नगरपालिका, कलानौर की सीमा वृद्धि की गई और नगर निगम, गुड़गावां तथा नगरपालिका निसिंग का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न पालिकाओं से 102 महिला पार्षदों को गुडगांवा में प्रशिक्षण दिया गया।

5. **अग्निशमन शाखा**

हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

6. **पैंशन शाखा**

वर्ष 2008--09 में नगर परिषद/पालिकाओं के सेवा निवृत कर्मचारियों के कुल 215 केस स्वीकृत किये गये।

7. **वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2008--09 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारे:--**

क0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	एफ.आई.आर.नं0 9 दिनांक 14.2.2009 अण्डर सैक्शन 468, 471, 120--बी, आई.पी.सी. पी.एस. एस.वी.बी. हिसार श्री वीरभान, लिपिक नगर परिषद, हिसार द्वारा जन सुविधा के कार्यों में की गई अनियमितताओं के कारण दर्ज की गई।	मामले में अभियोग चलाने की स्वीकृति आयुक्त, नगर निगम, हिसार द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा को भिजवाई गई है, मामला अभी विचाराधीन है।

149

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2009--10

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2009-10.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2009-10

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2009-10 there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 27904.48/ Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under this, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees an amount of Rs. 2,37,45,002/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2009-10

Sd/-

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

समीक्षा

वर्ष 2009--2010 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2009–10 की प्रशासनिक रिपोर्ट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2009–10 में राज्य में कुल 9 नगरनिगम 14 नगरपरिषदें व 52 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि 27904.48 लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 2,37,45,002/–रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2009–2010

निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए मुख्य कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री एस.सी.चौधरी, आई.ए.एस. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव रहे हैं तथा डा0 महावीर सिंह, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनको मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

1. बजट शाखा

क0सं0	स्कीम का नाम	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	4
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	704.90
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	2730.00
3	लघु तथा मध्यम वर्ग के कस्बों में सामूहिक विकास	424.58
4	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	300.00
5	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00
6	महिला पार्षदों को ट्रेनिंग हेतु अनुदान	4.00
7	राज्य वित्त आयोग	7610.00
8	एल.ए.डी.टी.	1980.00
9	गृहकर की हानि के ऐवेज में सहायता अनुदान	0.00
10	दुग्ध डेरियों को स्थानान्तरित करने बारे	314.00
11	पालिका क्षेत्रों के वार्डो में विकास हेतु विशेष अनुदान	4000.00
12	अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान	250.00
13	पालिकाओं में अनुसूचित वार्डों के विकास हेतु विशेष अनुदान.	9337.00
	कुल योग	27904.48

2. अभियान्त्रिकी/तकनीकी शाखा

1. लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान 424.58 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोंटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दवाब को कम करने से है।

3. अग्निशमन शाखाः—

हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से वर्ष 2009—2010 में 20,62,500/— रूपये अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके अन्तर्गत 5 चैसिज मैसर्ज फोर्स इण्डिया लिमिटिड से खरीद की गई।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन, हरियाणा, चण्डीगढ़ विभाग से अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए 11,02,80,000/— रूपये की अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से 86 दमकल गाड़ियां तथा 40 सैट लाईट खरीद करते हुये सम्बन्धित दमकल केन्द्रों को वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन, हरियाणा, चण्डीगढ़ विभाग से हरियाणा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिये 3,84,68,000/—रूपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसमें प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिये पुनः नवीनतम प्रस्ताव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन, हरियाणा को खरीद करने के लिये भेजा जाना प्रस्तावित है।

4.चुनाव शाखा

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2009—10 में 9 नगर निगम व 14 नगर परिषदें तथा 54 नगर पालिकायें है।

पालिकाओं की सीमावृद्धि :—
नगर परिषद, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, रेवाडी तथा नगर पालिका पिहोवा।

पालिकाओं का गठन :—
नगर निगम, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक तथा हिसार।

पालिकाओं की वार्डबन्दी :—
नगर परिषद, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, जीन्द, करनाल, सोनीपत व नगर पालिका गोहाना, निसिंग, झज्जर, पुन्हाना तथा बरवाला।

महिला पार्षदों को प्रशिक्षण देने बारे :—
विभिन्न पालिकाओं से 92 महिला पार्षदों को हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांवा में प्रशिक्षण दिलवाया गया।

5. नगर नियोजन शाखाः—

घ) वर्ष 2009—10 के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 23745002 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड़ में जमा करवाये गये।

6. पैंशन शाखा

वर्ष 2009—10 के दौरान पालिकाओं के सेवा निवृत एवं मृतक पैंशनरों के पैंशन/पारिवारिक पैंशन के 245 केस स्वीकृत किये गये।

7. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2009—10 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारेः—

क0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	शुन्य	शुन्य

2. **12वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान 2730.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

3. **अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 300.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

4. **राज्य वित्त आयोग की सिफारिश**

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2009–2010 के दौरान 7610.00 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

5. **लोकल एरिया डवलपमेंट टैक्स स्कीम के अन्तर्गत**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 1980.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

6. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 704.90 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

7. **कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 250.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

8. **अनुसूचित जाति के लिए विशेष अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 9337.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

9 **दूग्ध डेयरियों का स्थानांतरण**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 314.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

10. **विकास कार्यो के लिए विशेष अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 4000.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

11. **महिला पार्षदों को ट्रेनिंग हेतु अनुदान**

वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 4.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

12. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 704.90 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2010–11

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2010-11.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2010-11

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2010-11, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 28101.17/- Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under this, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees an amount of Rs. 95,78,082/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2010-11.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

4A-D-41

समीक्षा

वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2010–11 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2010–11 में राज्य में कुल 9 नगरनिगम 14 नगरपरिषदें व 53 नगरपालिकाएं स्थापित की । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि 28101.17 लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 95,78,082/–रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2010--2011

निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर--निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप--निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए मुख्य कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री राज कुमार तथा श्री के.के.जालान, आई.ए.एस. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव रहे हैं तथा डा0 महावीर सिंह, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनको मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010--2011 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:--

1. **बजट शाखा**

क्र0सं0	स्कीम का नाम	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	4
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	8488.55
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	4052.00
3	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	486.00
4	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00
5	राज्य वित्त आयोग	3969.10
6	नैशनल कलियर्टी फण्डज़	2000.00
7	दुग्ध डेरियों को स्थानान्तरित करने बारे	125.00
8	पालिका क्षेत्रों के वार्डो में विकास हेतु विशेष अनुदान	3730.12
9	पालिकाओं में अनुसूचित वार्डो के विकास हेतु विशेष अनुदान	5000.00
	कुल योग	28101.17

2. **अभियान्त्रिकी/तकनीकी शाखा**

1. **12वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010--2011 के दौरान 4052.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

2. **अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 486.40 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

3. **राज्य वित्त आयोग की सिफारिश**

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2010–2011 के दौरान 3969.10 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

4. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 8488.55 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

5. **कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 250.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

6. **अनुसूचित जाति के बस्ती/वार्डों के विकास के लिए विशेष अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 5000.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

7. **दूग्ध डेयरियों का स्थानांतरण**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 125.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

8. **विकास कार्यो के लिए विशेष अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 3730.12 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

9. **प्राकृतिक आपदा सहायता अनुदान**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 2000.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

3. अग्निशमन शाखा

हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से वर्ष 2010–2011 में 60,62,500/– रूपये अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी जिसके अन्तर्गत 10 चैसिज मैसर्ज टाटा लिमिटिड से खरीद की गई।

4. चुनाव शाखा

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2010–11 में 9 नगर निगम व 14 नगर परिषदें तथा 54 नगर पालिकायें है।

पालिकाओं का चुनाव :–

नगर परिषद, सोनीपत, पलवल, फतेहाबाद, टोहाना, हांसी, नरवाना, थानेसर, जीन्द, सिरसा, नारनौल, भिवानी व नगर पालिका, नारायणगढ, चरखीदादरी, होडल, रतियां, फिरोजपूर झिरका, नूंह, सोहना, सफीदों, चीका, घरौंडा, तरावडी, असंध, शाहाबाद, लाडवा, पिहोवा, महेन्द्रगढ, समालखा, बावल, महम, कालांवाली, ऐलनाबाद, रानियां, गोहाना, घनौर, बरवाला, झज्जर, पुन्हाना तथा निसिंग।

ritu worksD:\4A\ritu works.docx

5. नगर नियोजन शाखा

वर्ष 2010–11 के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 9578082 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड़ में जमा करवाये गये।

6. पैंशन शाखा

वर्ष 2010–11 के दौरान पालिकाओं के सेवा निवृत एवं मृतक पैंशनरों के पैंशन/पारिवारिक पैंशन के 211 केस स्वीकृत किये गये।

7. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2010–11 **चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारे:–**

क0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	शुन्य	शुन्य

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2011–12

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2011-12.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2011-12

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2011-12, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 21331.46/- Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under the, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees an amount of Rs. 8,90,09,803/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2011-12.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

समीक्षा

वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2011–12 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2011–12 में राज्य में कुल 9 नगरनिगम 14 नगरपरिषदें व 53 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि 21331.46 लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियें के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 8,90,09,803/–रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा
DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA
बे सं. 11-14, सेक्टर 4, पंचकूला, हरियाणा
Bay No. 11-14, Sector 4, Panchkula, Haryana
Tel.: +91 172 2570020 ; Fax: +91 172 2570021
website: www.ulbhry.gov.in ; email: dulbhry@hry.nic.in

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2011–12

निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस/एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए मुख्य कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री राम निवास, आई.ए.एस. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव रहे हैं तथा श्री आर.आर.जोवल, श्री बलबीर सिंह मलिक, श्री टी.सी.गुप्ता, श्री डी.पी.एस.नागल, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनको मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

1. बजट शाखा

क0सं0	स्कीम का नाम	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	4
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2416.32
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	5127.00
3	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	613.00
4	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	175.00
5	राज्य वित्त आयोग	12775.00
6	लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए अनुदान	3641.53
7	दुग्ध डेरियों को स्थानान्तरित करने बारे	125.00
8	हरियाणा पालिकाओं में अनुसूचित वार्डों के विकास हेतु विशेष अनुदान	4171.00
9	राजीव गांधी अर्बन डवलपमेंट मिशन	55038.73
10	सैटालाईट कांउटर मैगनेट	1531.85
11	राजीवगांधी शहरी भागीदारी योजना	170.50
12	पालिका भवन के निर्माण के लिए अनुदान	100.00
	कुल योग	88384.93

GA-D-41

2. अभियान्त्रिकी / तकनीकी शाखा

1. लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान 3641.00 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दवाब को कम करने से है।

2. 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान 5127.00 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

3. अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 613.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

4. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2011–2012 के दौरान 12775.00 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

5. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 2416.32 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

6. कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 175.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

7. अनुसूचित जाति के लिए विशेष अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 4171.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

8 दूग्ध डेयरियों का स्थानांतरण

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 125.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

9. राजीव गांधी अर्बन डवलपमेंट मिशन हरियाणा

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 55038.73 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

10 सैटालाईट कांउटर मैगनेट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान नगर परिषद सोनीपत को 1531.85 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

11 राजीवगांधी शहरी भागीदारी योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 170.50 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

3. अग्निशमन शाखा

हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से वर्श 2011–2012 में 3,70,00,000/–रूपये अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके अन्तर्गत 15 चैसिज के उपर क्वीक रिस्पोन्स दमकल गाड़ियों की फैब्रीकेशन का कार्य मैसर्ज यूनाईटिड मेन्यूफैक्चरर कम्पनी, बहादुरगढ़ से करवाकर सम्बन्धित पालिकाओं के दमकल केन्द्रों कमशः सोनीपत, चरखी दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, सिरसा, रोहतक, बहादुरगढ़, हिसार, पंचकुला, अम्बाला सदर, यमुनानगर, पानीपत तथा भिवानी को उपलब्ध करवाई गई।

इसके अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग के तहत हरियाणा राज्य की अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से 56 चैसिज के ऊपर फोम कैश टैण्डर, वाटर बाउजर दमकल गाड़ियों की फैब्रीकेशन का कार्य करवाया गया तथा 2 टर्न टेबल लैडर 55 मीटर ऊंचाई वाले अग्निशमन उपकरण खरीद किये गये हैं जिसमें से 56 दमकल गाड़ियां पहले ही सम्बन्धित पालिकाओं के दमकल केन्द्रों को वितरित की जा चुकी हैं तथा 2 टर्न टेबल लैडर 55 मीटर ऊंचाई वाले अग्निशमन उपकरण खरीद किये जाने प्रस्तावित है।

4. चुनाव शाखा

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2011–12 में 9 नगर निगम व 14 नगर परिषदें तथा 54 नगर पालिकायें है।

पालिकाओं का गठन :–

नगर पालिका, भुना तथा उकलाना मण्डी।

पालिकाओं की सीमावृद्धि :–

नगर पालिका, फरूखनगर,

5. नगर नियोजन शाखा

वर्ष 2011–12 के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 8,90,09,803 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड़ में जमा करवाये गये।

6. पैंशन शाखा

वर्ष 2011–12 के दौरान पालिकाओं के सेवा निवृत एवं मृतक पैंशनरों के पैंशन/पारिवारिक पैंशन के 196 केस स्वीकृत किये गये।

7. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2011–12 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारे:–

क0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	श्री सत्यनारायण , प्रारूपकार, नगर परिषद, सोनीपत के विरूद्ध 3,000/– रूप्ये रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने पर एफ.आई.आर. नं0–30 दिनांक 09.11.2011 अधीन नियम 7/13 पी.सी.एक्ट– पी.एस.एस. वी.बी. रोहतक में दर्ज किया गया है।	मामला उपायुक्त, रोहतक के स्तर पर विचाराधीन है।

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2012–13

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2012-13.

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2012-13

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2012-13, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 1,36,756.08/- Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under the, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal Committees, an amount of Rs. 13,86,52,534/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2012-13

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

Dated
3/4/2017

समीक्षा

वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2012—13 की प्रशासनिक रिर्पोट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2012—13 में राज्य में कुल 9 नगरनिगम 14 नगरपरिषदें व 54 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा कुल राशि [illegible] लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अर्न्तगत वर्ष 2012—13 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 13,86,52,534/—रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

दिनांक 3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

14A-D-41

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा

DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA

बे सं. 11-14, सेक्टर 4, पंचकूला, हरियाणा
Bay No. 11-14, Sector 4, Panchkula, Haryana

Tel.: +91 172 2570020 ; Fax: +91 172 2570021
website: www.ulbhry.gov.in ; email: dulbhry@hry.nic.in

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2012—13

निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस / एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर—निदेशक / संयुक्त निदेशक / उप—निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए मुख्य कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री पी राघवेन्द्रा राव, आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं तथा श्री डी पी एस नागल, श्री समीर पाल सरोह, श्री टी.सी.गुप्ता, श्री महेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक / महानिदेशक रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनको मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान / नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः—

1. बजट शाखा

क0सं0	स्कीम का नाम	वास्तविक खर्च (रूपये लाखों में)
1	2	3
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	10814.17
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	6080.73
3	अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट	100.00
4	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	550.00
5	राज्य वित्त आयोग	14715.00
6	लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए अनुदान	3630.09
7	हरियाणा पालिकाओं में अनुसूचित वार्डों के विकास हेतु विशेष अनुदान	3460.00
8	राजीव गांधी अर्बन डवलपमेंट मिशन	49254.25
9	सैटालाईट कांउटर मैगनेट	595.00
10	राजीवगांधी शहरी भागीदारी योजना	186.54
11	पालिका भवन के निर्माण के लिए अनुदान	200.00
12	अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान	370.00
13	निगम क्षेत्र में स्टांप पेपर की बिकरी पर 2 प्रतिशत कमिशन	31600.00
14	पालिका क्षेत्र में स्टांप पेपर की बिकरी पर 2 प्रतिशत कमिश्न	15200.00

कुल योग	136756.08

2. अभियान्त्रिकी/तकनीकी शाखा

1. लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान 3630.09 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य छोंटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में अधिक पूंजी निवेश करके इन शहरों की अर्थ व्यवस्था में सुधार तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस उदेश्य के पीछे बड़े शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के दवाब को कम करने से है।

2. 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान 6080.73 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

3. अर्बन सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 100.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इस स्कीम का उदेश्य है सफाई व्यवस्था, डिस्पोजल आफ सोलिड वेस्ट की सुविधाओं का सुधार करना।

4. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2012–2013 के दौरान 14715.00 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

5. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 10814.17 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

6. कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 550.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

7 अनुसूचित जाति के लिए विशेष अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 3460.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

8. राजीव गांधी अर्बन डवलपमेंट मिशन हरियाणा

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 49254.25 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

9. सैटालाईट कांउटर मैगनेट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान नगर परिषद सोनीपत को 595.30 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

10. राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 186.54 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

3. अग्निशमन शाखा

हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए 13वें वित आयोगत के तहत भारत सरकार/राज्य सरकार से वर्श 2012–2013 में 25 करोड़ रूपये की

कैश टैन्डर, वाटर टैन्डर, वाटर बाउजर तथा रैस्क्यू टैन्डर फैब्रीकेशन करते हुये 29 दमकल गाड़ियां सम्बन्धित दमकल केन्द्रों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवा दी गई हैं। 74 दमकल गाड़ियों में से 45 गाड़ियां फैब्रीकेशन के कार्य हेतु फर्म के प्रागंण में खड़ी हैं तथा उक्त कार्य पूर्ण होने उपरान्त दमकल गाड़ियों को आवश्यकता अनुसार दमकल केन्द्रों पर वितरित कर दिया जायेगां

4. चुनाव शाखा

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 9 नगर निगम व 14 नगर परिषद तथा 54 नगर पालिकायें है।

पालिकाओं का सीमावृद्धि :–

नगर निगम, रोहतक व नगर पालिका, गन्नौर।

पालिकाओं का गठन :–

नगर पालिका, नांगल चौधरी।

पालिओं का चुनाव :–

नगर पालिका, रेवाडी, जुलाना, कनीना, लोहारू, हथीन, अटेली मण्डी, हेली मण्डी, पाटौदी, तावडू, खरखौदा, बेरी, इन्द्री, नीलोखेडी, कलायत, नारनौद, सिवानी तथा भिवानी खेडा।

पालिओं की वार्डबन्दी :–

नगर निगम, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, पंचकूला व नगर परिषद, रेवाडी तथा नगर पालिका, फर्रूखनगर व कलानौर।

महिला पार्षदों को प्रशिक्षण देनें बारे :–

विभिन्न पालिकाओं से 61 महिला पार्षदों को हिप्पा गुडगांवा में प्रशिक्षण दिलवाया गया।

5. नगर नियोजन शाखा

वर्ष 2012–13 में शहरी विकास के नियमन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अधिनियम, नीतियां तथा निर्देशों को अधिसूचित किया गया: i) नये विवाह स्थलों तथा बैंकेट हॉल को अनुमति प्रदान करने की नीति ii) मौजुदा विवाह स्थलों तथा बैंकेट हॉल को नियमित करने की नीति iii) हरियाणा नगर पालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्ध (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2013 iv) नागरिक सुखसुविधाओं और आधारभूत संरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों में भूखण्ड़ों के नियमतीकरण के लिए नीति मापदण्ड़ v) हरियाणा नगरनिगम (संचार एवं कनेक्टविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर), अधिनियम, 2013 vi) हरियाणा नगरपालिका (संचार एवं कनेक्टविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर), अधिनियम, 2013। इस अवधि के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 138,652,534 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड़ में जमा करवाये गये।

6. पैंशन शाखा

वर्ष 2012–13 के दौरान पालिकाओं के सेवा निवृत एवं मृतक पैंशनरों के पैंशन/पारिवारिक पैंशन के 145 केस स्वीकृत किये गये।

7. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2012–13 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारे:–

क्र0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	शुन्य	शुन्य

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा

की

वर्ष 2013--14

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2013-14

The Urban Local Bodies Department has made best efforts to provide basic amenties such as sanitation , roads , streets , streets light, water supply sewerage and TP Schemes of unbuild area, fire fighting services, development of parks etc. to the Urban residents for upliftment of lifestyle of the people.

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

3/4/2017

CRITIQUE OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE URBAN LOCAL BODIES, HARYANA FOR THE YEAR 2013-14

The Directorate of Urban Local Bodies, Haryana was created in April, 1982 for control/Supervision on the functions of Municipal Councils/ Municipal Committees. In the year 2013-14, there was 1 Municipal Corporations 23 Municipal Councils and 50 Municipal Committees in existence. An amount of Rs. 1,39,753.62/-Lakh was distributed as Grant-in-aid to various Municipal Councils/ Municipal Committees for basic civic amenities in Municipal areas under different schemes.

The entire efforts have been made to provide the better basic emenities to the inhabitants of the towns. Besides this, all out efforts were made to strengthen the income/ financial position of the municipalities.

Under the, policies regarding permission to construct shopping malls and Multiplexes with a view to development in Municipal Councils/Municipal, an amount of Rs. 1,21,25,319/- as conversion charges & composition fee were deposited in the Haryana Urban Infrastructure Development Board during the year 2013-14.

Dated
3/4/17

Principal Secretary to Govt. of Haryana
Urban Local Bodies Department

4A-D-41

समीक्षा

वर्ष 2013--2014 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनकी मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की डाक्रम स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्कों का विकास इत्यादि जुटाने का सराहनीय कार्य किया है।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की वर्ष 2013—14 की प्रशासनिक रिपोर्ट समालोचना

निदेशालय स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई थी, जिसका कार्य नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कार्यो पर नियन्त्रण/देखरेख करने का है । वर्ष 2013—14 में राज्य में कुल 9 नगरनिगम 18 नगरपरिषदें व 51 नगरपालिकाएं स्थापित थी । नगर परिषदों/नगरपालिकाओं को पालिका बोर्डों में मूलभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत [illegible] .... लाख रू0 अनुदान के रूप में वितरित किए गए ।

शहर के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये।

नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में विकास के उद्देश्य से शापिंग माल एवं मल्टीपलैक्स के निर्माण की अनुमति देने के लिए नीतियों के अर्न्तगत वर्ष 2013—14 में कन्वर्जन चार्जिज कम्पोजीशन फीस के रूप में 1,21,25,319/—रू0 प्राप्त हुए जो हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड में जमा करवाये गयें ।

दिनांक 3/4/2017

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

4A-D-41

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा

DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA

बे नं. 11-14, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा
Bay No. 11-14, Sector 4, Panchkula, Haryana

Tel.: +91 172 2570020 ; Fax: +91 172 2570021
website: www.ulbhry.gov.in ; email: dulbhry@hry.nic.in

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2013–14

निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा की स्थापना अप्रैल, 1982 में की गई और एक आई.ए.एस. अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में इसके निदेशक नियुक्त किये गये। उनकी सहायता के लिए दो एच.सी.एस./एच.एस.एस. कैडर के अधिकारी अपने ही वेतनमान में अपर–निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक के पद पर कार्य करते रहे हैं। चुनाव शाखा की ओर से सहायक निदेशक निर्वाचन सहायता करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर योजना कार्य के लिए मुख्य नगर योजनाकार व तकनीकी कार्य के लिए मुख्य कार्यकारी अभियन्ता सहायता करता है और लेखा कार्य के लिए लेखा अधिकारी सहायता करता है।

इस वर्ष के अन्तर्गत श्री पी राघवेन्द्रा राव, आई.ए.एस. अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं तथा श्री विजय सिंह दहिया, श्री अशोक सांगवान, श्री विकास गुप्ता, आई.ए.एस. इस वर्ष के दौरान इस निदेशालय में निदेशक रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, विभाग, शहरी निवासियों के बेहतर जीवन स्तर के उत्थान तथा उनको मूलभूत सुविधायें जैसे कि सफाई, सड़कें, गलियों, रोशनी, पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा अनबिल्ट एरिया की टाऊन स्कीमें, अग्निशमन सेवायें, पार्को का विकास इत्यादि जुटाना है। प्लान/नान प्लान स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के बजट की व्यवस्था खर्च सहित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

1. बजट शाखा

क्र0सं0	स्कीम का नाम	वास्तविक खर्च (रूप्ये लाखों में)
1	2	3
1	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	8636.08
2	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	16575.72
3	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	3152.00
4	राज्य वित्त आयोग	11812.50
5	महिला पार्षदों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान	3.43
6	सैटालाईट कांउटर मैगनेट	3131.10
7	पालिकाओं में अनुसूचित जाति के वार्डो के विकास हेतु विशेष अनुदान	3850.00
8	निगम क्षेत्र में स्टांप पेपर की बिकरी पर 2 प्रतिशत कमिशन	34040.55
9	पालिका क्षेत्र में स्टांप पेपर की बिकरी पर 2 प्रतिशत कमिशन	11244.36
10	पालिका भवन के निर्माण के लिए अनुदान	250.00
11	राजीव गांधी अर्बन डवलपमेंट मिशन	47057.88
	कुल योग	139753.62

2. अभियान्त्रिकी / तकनीकी शाखा

1. 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 के दौरान 16575.79 लाख रूप्ये की राशि पालिकाओं को अनुदान के रूप में दी गई है।

2. राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2013–2014 के दौरान 11812.50 लाख रूप्ये की राशि स्वीकृत की गई। यह समस्त राशि सम्बन्धित नगरपालिकाओं को दी जा चुकी है।

3. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 8636.08 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

4. कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को 3152.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

5. अनुसूचित जाति के लिए विशेष अनुदान

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 3850.00 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

6. राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 के दौरान राज्य की पालिकाओं को 47057.88 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

7. सैटालाईट कांउटर मैगनेट

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–2014 के दौरान नगर परिषद सोनीपत को 3131.10 लाख रूप्ये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

3. अग्निशमन शाखा

हरियाणा राज्य में पालिकाओं के दमकल केन्द्रों की अग्निशमन सेवा को सुदृढ करने के लिए 13वें वित आयोगत के तहत भारत सरकार/राज्य सरकार से वर्ष 2013–2014 में 25 करोड़ रूपये की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से दो 70 मीटर की ऊंचाई वाले हाईड्रोलिक प्लेटफार्म खरीद किये जाने प्रस्तावित है।

4. चुनाव शाखा

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2013–14 में 9 नगर निगम व 18 नगर परिषद तथा 51 नगर पालिकायें है।

पालिकाओं का सीमावृद्धि :–

नगर परिषद, पलवल, नारनौद व नगर पालिका, सोहना।

पालिका का गठन:–

नगर पालिका, राजौन्द।

नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा देने बारे

नगर पालिका, गोहाना, चरखी दादरी, होडल तथा मण्डी डबवाली।

पालिकाओं के चुनाव:-

नगर निगम, पंचकूला, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक , अम्बाला, यमुनानगर व नगर पालिका, फर्रूखनगर, कलानौर, पुण्डरी, सांपला तथा मण्डी डबवाली।

महिला पार्षदों को प्रशिक्षण देने बारे :-

विभिन्न पालिकाओं से 25 महिला पार्षदों को हिप्पा गुडगांवा में प्रशिक्षण दिलवाया गया।

5. नगर नियोजन शाखा

वर्ष 2013-14 में शहरी विकास के नियमन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अधिनियम, नीतियां तथा निर्देशों को अधिसूचित किया गया: i) निगम के लिए कम्पोजिशन नीति ii) पार्किंग नीति iii) खसरा नम्बर के साथ साथ नागरिक सुविधाओं और आधारभूत संरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों के रूप में 887 अनधिकृत कॉलोनियों की अधिसूचना। iv) हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, 2014 (नगरपालिका सीमा के अन्दर आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों के प्रावधानों से सम्बन्धित)। इस अवधि के दौरान जांच पड़ताल फीस, कन्वर्जन चार्जिज, लाईसैंस फीस, आई.डी.सी इत्यादि के रूप में 12125319 रूपये एच.यू.आई.डी.बी. फण्ड में जमा करवाये गये।

6. पैंशन शाखा

वर्ष 2013-14 के दौरान पालिकाओं के सेवा निवृत एवं मृतक पैंशनरों के पैंशन/पारिवारिक पैंशन के 123 केस स्वीकृत किये गये।

7. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2013-14 चौकसी विभाग से सम्बन्धित तथ्य सम्मलित करने बारे:-

क0सं0	चौकसी विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर.	की गई कार्यवाही
1	श्री बलदेव राज, रोशनी निरीक्षक, नगर निगम, पानीपत द्वारा 43,000/- रूपये रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने पर एफ.आई.आर. नं0- 9 दिनांक 20.06.2013 पी.एस.,एस.वी.बी. रोहतक द्वारा दर्ज की गई।	मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2014 पारित आदेशों पर आगामी कार्यवाही अभी आयुक्त, नगर निगम, पानीपत के विचाराधीन है।
2.	श्री राजऋषि, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, बहादुरगढ़ द्वारा परिषद फण्ड के दुरूपयोग व फर्जी बिल बनाकर परिषद को हानि पहुँचाने के मामले में एफ.आई.आर. नं0- 34 दिनांक 15.10.2013 अधीन धारा 420/409/468/471/120-बी आई.पी.सी. तथा 13(1) डी. पी.सी. एक्ट पी.एस.,एस.वी.बी. रोहतक द्वारा दर्ज की गई।	मामले की विभागीय नियमित जाँच विचाराधीन है।